मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013-ज्येष्ठ 31,-शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम उत्कर्ष सोनी पुत्र श्री सुनील सोनी, डी-91, गौतम नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल परिवर्तित कर उत्कर्ष सुहास हो गया है. अतः भविष्य में मुझे उत्कर्ष सुहास के नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(उत्कर्ष सोनी)

नया नाम :
(उत्कर्ष सुहास)

(156-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम MITHALESH SINGH W/o SHRI SUKHVIR SINGH था जो अब बदलकर MITHILESH SINGH W/o SHRI SUKHVIR SINGH हो गया है. अब आगे से मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(MITHALESH SINGH)

नया नाम :
(MITHILESH SINGH)
पता—269 AG, Scheme No. 74,
Indore (M. P.).

(157-बी.)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, एस. एस. बब्बू जी यादव (श्यामसुंदर सिंह बब्बू जी यादव) आत्मज स्व. श्री बालमुकुंद सिंह यादव, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम अनघोरा, तहसील मझौली, जिला जबलपुर में निम्नलिखित कथन कर घोषणा करता हूँ कि मुझे मेरा वास्तविक नाम एस. एस. बब्बू जी यादव (श्यामसुंदर सिंह बब्बू जी यादव) है और मुझे अधूरे नाम बब्बू जी यादव के नाम से भी जाना- पहचाना जाता है जिस कारण से मेरी शिक्षा संबंधी प्रत्येक दस्तावेजों से मेरा उपरोक्त अधूरा नाम दर्ज हो गया है जिस कारण से अब मुझे केवल एस. एस. बब्बू जी यादव (श्यामसुंदर सिंह बब्बू जी यादव) के नाम से ही पहचाना व जाने वास्ते यह जाहिर सूचना प्रकाशित है.

पुराना नाम :
(बब्बू जी यादव)

नया नाम :
(एस. एस. बब्बू जी यादव)
आ. स्व. श्री बालमुकुंद सिंह.

(158-बी.)

CHANGE IN NAME

I, Ritu Shree Jain D/o Dashrath Prasad Singh Uike do hereby publicly declare that earlier. I was known as Ritu Shree Jain D/o Dashrath Prasad Singh Uike. But with effect from 01-01-2012, I am known as Ritu Shree Uike D/o Dashrath Prasad Singh Uike. Kindly be noted.

Old Name :

(RITU SHREE JAIN)
D/o Dashrath Prasad Singh Uike.

New Name :

(RITU SHREE UIKE)
D/o Dashrath Prasad Singh Uike.

(159-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती संध्या राहंगडाले पति सुरेश कुमार राहंगडाले, निवासी ग्राम बघोली, थाना व तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश यह कि मेरा विवाह ग्राम बघोली, निवासी श्री सुरेश कुमार राहंगडाले के साथ विगत 28 मई, 2006 को सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार विधिवत् सम्पन्न हुआ है. विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. इन्द्रकला शरणागत पिता श्री दशराम, निवासी ग्राम उमरटोला (एकोड़ी), तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म. प्र.) था, यही नाम मेरे समस्त शालेय एवं शैक्षणिक अभिलेखों में दर्ज है. अब चूंकि मेरा विवाह हो चुका है और विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती संध्या राहंगडाले पति सुरेश कुमार राहंगडाले हो गया है. लिहाजा अब मुझे मेरे परिवर्तित नाम श्रीमती संध्या राहंगडाले पति सुरेश कुमार राहंगडाले के नाम से जाना-पहचाना जाए और मेरा यही परिवर्तित नाम मेरे समस्त अभिलेखों में उल्लेखित किया जाये.

पुराना नाम :

(इन्द्रकला शरणागत)

नया नाम :

(संध्या राहंगडाले)
पति श्री सुरेश कुमार राहंगडाले,
ग्राम-बघोली, थाना- तहसील लालबर्रा,
जिला बालाघाट (म. प्र.).

(160-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, नेहासिंह पति जी. आर. कोकोड़े, निवासी ग्राम-बिठली, विकासखण्ड बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म. प्र.) की निवासी हूँ, मेरा नाम शादी के पूर्व परमिला उइके पिता तिवाड़ी उइके था, परंतु अब शादी के बाद से नेहासिंह पति जी. आर. कोकोड़े के नाम से मुझे जाना-पहचाना जाता है तथा अब मैं अपना नाम समस्त दस्तावेजों में नेहासिंह पति जी. आर. कोकोड़े लिख रही हूँ तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(परमिला उइके)
पिता तिवाड़ी उइके.

नया नाम :

(नेहासिंह)
पति जी. आर. कोकोड़े
ग्राम-बिठली, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म. प्र.).

(161-बी.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैं आनन्द पारधी, पिता श्री बाबूलाल पारधी, निवासी ग्राम व पोस्ट चरेगांव, तहसील व जिला बालाघाट, यह कि मेरे पुत्र का नाम निर्जल पारधी वल्द आनन्द पारधी था और यही नाम उसके समस्त शालेय शैक्षणिक एवं अभिलेखों में उल्लेखित था, अब चूंकि उसका नाम परिवर्तित होकर निलय पारधी वल्द श्री आनन्द पारधी हो गया है. लिहाजा उसे अब उसके परिवर्तित नाम से जाना व पहचाना जाए एवं यही नाम उसके शैक्षणिक, शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में उल्लेखित किया जाए.

आनन्द पारधी (पिता),
ग्राम चरेगांव,
तहसील व जिला बालाघाट (म. प्र.).

(162-बी.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम श्री चन्द्रभूषण शर्मा पिता स्व. पं. मामराज शर्मा था, जो शासकीय अभिलेख एवं अंकसूची आदि में दर्ज है. सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार एवं श्री रामचरित मानस के कथा वाचन हेतु संपूर्ण भारत वर्ष में मेरा नाम डॉ. सुमनभाई प्रचलन में है और मैं भविष्य में इसी नाम से जाना जाऊंगा, यह विदित हो.

पुराना नाम :
(चन्द्रभूषण शर्मा)

नया नाम :
(सुमनभाई)
निवासी मौनतीर्थ मंगलनाथ रोड,
उज्जैन (म. प्र.).

(164-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम इन्दिरा पंजवानी पिता भीषम पंजवानी था, जो कि बदलकर मोनाली नागपाल पति श्री अजय नागपाल हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(इन्दिरा पंजवानी)

नया नाम :
(मोनाली नागपाल)
17-B, प्रेमनगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(165-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम विक्रमलाल-मोतीलाल मालवीय है, जो शिक्षा विभाग के अभिलेखों में तथा अन्य स्थान एवं परिचितों के मध्य में भी विक्रमलाल-मोतीलाल मालवीय के नाम से जाना जाता हूँ. मैं, एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से मैं विक्रमसिंह सोलंकी पिता मोतीलाल मालवीय के नाम से जाना जाऊंगा तथा मेरे साथ समस्त प्रकार के शासकीय एवं अशासकीय व्यवहार विक्रमसिंह सोलंकी पिता मोतीलाल मालवीय के नाम से ही किया जावेगा तथा शिक्षा विभाग के शासकीय सेवा अभिलेखों में मेरा नाम विक्रमसिंह सोलंकी पिता मोतीलाल अंकित किया जायेगा.

पुराना नाम :
(विक्रमलाल-मोतीलाल मालवीय)

नया नाम :
(विक्रमसिंह सोलंकी)
पिता मोतीलाल मालवीय,
शासकीय माध्यमिक विद्यालय पीपल्या बक्सू,
तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.).

(163-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दीपक मालवीय पिता श्री फूलचन्द, निवासी-101, रायल रिजेन्सी, 377, गोयल नगर, इन्दौर (म.प्र.) सभी दस्तावेजों में दर्ज है. मुझे अब दीपक एम. शास्त्री पिता श्री फूलचन्द के नाम से जाना जावे और समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में नाम परिवर्तन किया जावे.

पुराना नाम :
(दीपक मालवीय)

नया नाम :
(दीपक एम. शास्त्री)
पिता श्री फूलचन्द जी,
निवास:- 101, रायल रिजेन्सी,
377, गोयल नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(166-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे SARDAR MANISH SINGH के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था, अब मुझे वर्तमान में MANISH SINGH के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(सरदार मनीष सिंह)

(SARDAR MANISH SINGH)

नया नाम :

(मनीष सिंह)

(MANISH SINGH)

रेल्वे स्टेशन के सामने, टर्निंग सतना रोड़,
जिला रीवा (म.प्र.).

(167-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे (MOONIRAHMED MOHMMADSHREEN PATHAN) के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था, अब मुझे वर्तमान में (MUNEER KHAN) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(मुनीरअहमद मोहम्मदशिरीन पठान)

(MOONIRAHMED MOHMMADSHREEN PATHAN)

नया नाम :

(मुनीर खान)

(MUNEER KHAN)

पता —अपोजिट एच. पी. पेट्रोल पम्प,
परवलिया सड़क, भोपाल (म.प्र.).

(168-बी.)

उप नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे (RAMA SHANKAR RAWAT) के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था, अब मुझे वर्तमान में (RAMA SHANKAR SHARMA) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(रमा शंकर रावत)

(RAMA SHANKAR RAWAT)

नया नाम :

(रमा शंकर शर्मा)

(RAMA SHANKAR SHARMA)

राजीव गाँधी कॉलोनी, सिविल वार्ड नम्बर 5,
दमोह (म.प्र.).

(169-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे (NEELIMA SWAMY) के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था, अब मुझे वर्तमान में (NEELAM LAZARUS) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(NEELIMA SWAMY)

नया नाम :

(NEELAM LAZARUS)

(170-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

रीवा, दिनांक 06 जून, 2013

क्र./भण्डार/2013-14/669.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा में स्थापित मुद्रण मशीनों में निम्नानुसार सुधार कार्य कराया जाना है. विवरण निम्नानुसार है :—

1. पी. ओ. 36 शीटफेड आफसेट मुद्रण मशीन 59 × 84 आकार—1. फीडर यूनिट रिपेरिंग, 2. स्टाक रजिस्टर यूनिट, 3. डैम्पिक यूनिट रिपेरिंग, 4. इंक यूनिट (रबड़ रोलर कम्पलीट सेट एवं राइडर रोलर), 5. डिलेवरी यूनिट, 6. मैन ड्राइव पीनियन, 7. इम्प्रेशन सिलेण्डर रिपेरिंग, 8. डी. सी. ड्राइव कार्ड.

2. आर. ओ. 62 आफसेट रील मुद्रण मशीन 42 × 59 आकार—1. कम्पलीट राइडर रोलर एवं रबर रोलर रबराइजेशन में रिकोटिंग, 2. ड्रैम्पिग रिपेरिंग, 3. प्लेट पट्टी स्क्रू, 4. इंक यूनिट, 5. सिलेण्डर की बेरिंग, 6. इंक डक्ट रिपेरिंग.

कृपया इच्छुक व्यवसायी अपना अधिकृति प्रतिनिधि शासकीय कार्य अवधि में इस मुद्रणालय में भेजकर उक्त मशीनों को चेक करवाकर होने वाले व्यय की दरों की निविदाएं अलग-अलग मशीनबार दिनांक 22 जून, 2013 से 29 जून, 2013 तक इस मुद्रणालय में जमा कर सकेंगे. टेण्डर फॉर्म एवं शर्तें दिनांक 21 जून, 2013 से 24 जून, 2013 तक रुपये 100/- नगद जमाकर इस मुद्रणालय से प्राप्त की जा सकती है.

लोरेन्स राबर्टसन,
उप-नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा (म.प्र.).

2-2
(310)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा, जिला सागर

बण्डा, दिनांक 27 मई, 2013

रा. प्र. क्र. 246 बी/121 वर्ष 2012-13.

मौजा-बरखेरा, प. ह.नं. 01,
तह. बण्डा, जिला सागर (म. प्र.)

नारानसींग पिता गम्भीर सींग लोधी
निवासी ग्राम बरखेरा, तह. बण्डा, जिला सागर (म. प्र.) **आवेदक**

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन **अनावेदक**

क्र. /1274/री-1/2013.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक नारानसींग पिता गम्भीर सींग लोधी, निवासी ग्राम बरखेरा, तह. बण्डा, जिला सागर (म. प्र.) द्वारा मौजा ग्राम बरखेरा, प. ह. नं. 01, तह. बण्डा, में स्थित मंदिर श्री श्री 108 महावीर स्वामी जी शाखा, सरवाह वार पंचम कमेटी के नाम खसरा नं. 53, 118, 127, 162, 187, 266 कुल 06 मेडे रकबा क्रमश: 0.77, 0.80, 1.01, 0.02, 0.22, 1.10 कुल रकबा 3.920 हे. भूमि जो श्री श्री 108 महावीर स्वामी जी शाखा, सरवाह वार पंचम कमेटी कम्मोद सींग पिता भूरे भूमि स्वामी सींग लोधी महतापकार प्रबंधक कलेक्टर, सागर पता सा. देह भूमि स्वामी दर्ज हैं, को नारानसींग पिता गम्भीर सींग लोधी, निवासी ग्राम बरखेरा के नाम (मोहत्तमकार नियुक्त दर्ज) किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद निकलने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया जावेगा तथा आपत्ति मान्य नहीं होगी न ही सुनवाई की जावेगी.

इश्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी, दिनांक 27-05-2013.

पेशी, दिनांक 27-06-2013.

नारायण सिंह ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी.

(313)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/2012-13. जारी, दिनांक 7 जून, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक

न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि आवेदक पं. मदन मोहन शास्त्री, संस्थापक, संचालक एवं अध्यक्ष, निवासी—पत्रकार कॉलोनी, बडनगर, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन, वर्तमान निवासी ओंकारेश्वर, खण्डवा द्वारा ''माँ नर्मदा अन्नक्षेत्र भागवत पारमार्थिक लोक सेवा ट्रस्ट, ओंकारेश्वर'' तहसील पुनासा, जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 10 जुलाई, 2013 दिन बुधवार को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	''माँ नर्मदा अन्नक्षेत्र भागवत पारमार्थिक लोक सेवा ट्रस्ट, ओंकारेश्वर'' तहसील पुनासा, जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- नगद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

हरिसिंह चौधरी,

(323) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 05 जून, 2013

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय सामाजिक एवं धार्मिक न्यास, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उजैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन जिला उज्जैन, का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	. .	श्री सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय सामाजिक एवं धार्मिक न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	. .	मूर्ति हिंगलाज माता के मंदिर, सखीपुरा, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.
चल सम्पत्ति	. .	निरंक.

आर. एस. मीना,

(324) पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-पांच

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा- 5 (1) व 5 (2) के अंतर्गत]

समक्ष.—पंजीयक, लोक न्यास, शुजालपुर, जिला शाजापुर के समक्ष.

अध्यक्ष श्री मनीष परमार पिता श्री धन्नालाल जी परमार, अकोदिया मंडी के द्वारा श्री दामोदर वंशीय गुजराती दर्जी समाज पारमार्थिक न्यास का मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 के धारा-2 की उप-धारा (4) के अभिप्राय के लिये पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 28 जून, 2013 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 1 माह के अन्दर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1. न्यास का मुख्यालय-म.नं. 196, वार्ड नं 7, जीन कालोनी अकोदिया मंडी, तहसील-शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश पिन कोड -465223.
2. कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.
3. न्यास का उद्देशय-समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना व धर्म का प्रचार-प्रसार करना व धार्मिक कार्य संपादित करना आदि.
4. न्यास के आय के साधन-दान, चन्दा आदि.

श्री शांति सेवा न्यास शुजालपुर की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है.—

चल सम्पत्ति	. .	10,000/-.
अचल सम्पत्ति	. .	श्री टेकचन्द्र जी म.सा. का मंदिर एवं धर्मशाला (अनुमानित कीमत 15, 00,000/-).

हिन्दु सिंह चुडांवत,

(326) रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

(आदेश)

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2013

क्र. ई-1/135/2013/5/एक .—सुश्री शिल्पा भाप्रसे (2008) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016/1/87. Estt (A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधानानुसार ''सुश्री शिल्पा.'' का नाम परिवर्तन कर अब ''श्रीमती शिल्पा गुप्ता'' करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए अब उन्हें श्रीमती शिल्पा गुप्ता नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय,
सचिव 'कार्मिक'.

(312)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूंठोद, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 759, दिनांक 18 मई, 1995 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1576/03, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 एवं संशोधित आदेश क्र./783/परि./07, दिनांक 06 सितम्बर, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री टी. आर. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(305)

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कनघट्टी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 730, दिनांक 17 अक्टूबर, 1993 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1576/03, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 एवं संशोधित आदेश क्र./782/परि./07, दिनांक 06 सितम्बर, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री टी. आर. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(305-A)

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

ग्रामीण इकाई बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पावटी, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 21 जनवरी, 1963 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1558/80, दिनांक 28 मई, 1980 एवं संशोधित आदेश क्र./870/परि./12, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सुश्री विपिन बड़गोती, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(305-B)

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

केशव प्रिन्टिग स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 08 फरवरी, 2006 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1257/09, दिनांक 31 जुलाई, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. एस. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(305-C)

मन्दसौर, दिनांक 29 अप्रैल, 2013

कृषक हितकारी सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 769, दिनांक 25 सितम्बर, 1995 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1395/08, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 एवं संशोधित आदेश क्र./870/परि./12, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री टी. आर. गुन्द्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भारतसिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(305-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 10 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1099, दिनांक 24 अप्रैल, 1996 उज्जैन शिक्षक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 29 अप्रैल, 1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. असोड़िया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306)

उज्जैन, दिनांक 10 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2442, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा श्रमिक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1489, दिनांक 09 सितम्बर, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306-A)

उज्जैन, दिनांक 02 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/969.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1884, दिनांक 25 जुलाई, 2008 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अक्याजस्सा, जिसका पंजीयन क्रमांक 518, दिनांक 30 सितम्बर, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306-B)

उज्जैन, दिनांक 02 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/970.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1354, दिनांक 27 जून, 2007 दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., निपानियाब्रदर, जिसका पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 27 अप्रैल, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 2 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306-C)

उज्जैन, दिनांक 02 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/971.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2442, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 श्री महावीर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 06 मई, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306-D)

उज्जैन, दिनांक 02 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/972.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2447, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 स्वर्णदीप साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1496, दिनांक 28 जनवरी, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306-E)

उज्जैन, दिनांक 02 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/973.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 145, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या.,उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1434, दिनांक 11 अक्टूबर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306-F)

उज्जैन, दिनांक 03 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2384, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलू, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 670, दिनांक 06 अप्रैल, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(306-G)

उज्जैन, दिनांक 03 मई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2448, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 द्वारा श्री बालाजी गृह वस्तु क्रय-विक्रय एवं उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोंसला, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1398, दिनांक 03 जुलाई, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री कमल कुमार वर्मा, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसर्मापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(306-H)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माल्सापुरा छोटा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 16 सितम्बर, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 167, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 756, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सारोल, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 26 फरवरी, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3376, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 766, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. जैन पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलरावां, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 168, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 757, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोदलिया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1106, दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 169, दिनांक 17 जनवरी, 2013, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिन्जाना, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 160, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 769, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमोदिया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1127, दिनांक 15 मई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 155, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 759, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भरियाबावडी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1102, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 166, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 755, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

पानी पंचायत सहकारी संस्था मर्या., गोलागुठान, तहसील कन्नोद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 158, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 753, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय देवलालीकर, उप अंकेक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री संजय देवलालीकर, उप अंकेक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेरखेडी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 682, दिनांक 05 अक्टूबर, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3377, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 754, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरिया पैट, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 07 जून, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3372, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 763, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,अखेपुर तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1146, दिनांक 06 जून, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 165, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 758, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिडावद, तहसील खातेगांव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1170, दिनांक 01 मई, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3359, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 761, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

पानी पंचायत सहकारी संस्था मर्या., बिचकुआ, तहसील कन्नोद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 157, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 773, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय देवलालीकर, उप अंकेक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री संजय देवलालीकर, उप अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-L)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

अरिहन्त प्राथ. उप. भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1097, दिनांक 25 मई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 323, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 776, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

मनोरमा प्राथमिक उप. भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1090, दिनांक 07 अक्टूबर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 322, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 775, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र कुमार मालवीय, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री धर्मेन्द्र कुमार मालवीय, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-N)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

शिवाशीष कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., अमोना तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1223, दिनांक 08 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 330, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 822, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. दन्देलिया, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री डी. के. दन्देलिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-O)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

अटल कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1222, दिनांक 06 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 331, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 826, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-P)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

श्रद्धा कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., जगदीशपुर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 08 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 326, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 828, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौरसिया, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. एस. चौरसिया, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-Q)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

गजानन्द कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., कराडियागदा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 08 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 325, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 825, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. सी. मालवीय, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-R)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दीनदयाल कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., दौलतपुर तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1220, दिनांक 06 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 329, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 823, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एन. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-S)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

पक्षीधन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., खेड़ा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1221, दिनांक 06 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 323, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 824, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. भाटी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एन. एस. भाटी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-T)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

चन्द्रकान्ता कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., हाटपिपल्या, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1225, दिनांक 08 मार्च, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 328, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 827, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक.....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-U)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरोलिया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 351, दिनांक 19 अगस्त, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 926, दिनांक 30 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-V)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

गायत्री सहकारी साख संस्था मर्या., टोंकखुर्द, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 854, दिनांक 14 मई, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 718, दिनांक 14 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 24 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आई. एम. कुरैशी, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आई. एम. कुरैशी, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-W)

देवास, दिनांक 31 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 125, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंककला, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 286 दिनांक 11 सितम्बर, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. चौधरी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(314)

देवास, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1409, दिनांक 25 मई, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रातातलाई, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 30 मई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. एस. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(314-B)

देवास, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 132, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजेपुर, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 01 अप्रैल, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. आर. मालवीय को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(314-C)

देवास, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 142, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोटला, तहसील....., जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 31 मार्च, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. एस. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(314-D)

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर

दिनांक 14 जून, 2013

पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 28 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उप-धारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2012 तथा 08 मार्च, 2013 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्तियां, सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किये गये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

अब उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत एतद्द्वारा उक्त 28 ग्रामों की भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं और उसकी एक प्रति दिनांक 17 जून, 2013 से 24 जून, 2013 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी.—

1. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग,इंदौर.
2. कलेक्टर, जिला इंदौर एवं धार.
3. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर.
4. नगर पालिका, परिषद्, कार्यालय पीथमपुर.

अनुसूची

पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 28 अतिरिक्त ग्रामों की सूची

(1) जिला इंदौर :-		
(अ) तहसील इंदौर	. .	नरलाय, मोकलाय, डेहरी.
(ब) तहसील महू	. .	सोनवाय, भैंसलाय, पिपल्या मल्हार.
(2) जिला धार एवं तहसील धार :-		लेबड, सेजवाया, डेहरी, पिपल्दा, कल्साडाखुर्द, सेजवानी, एकलदूना, गुणावद, मिर्जापुर, नाजिक, बड़ोदा, निजामपुरा, कुमार कराड़िया, उमरिया, बागोदा, बक्साना, उदली, सुहागपुरा, आसूखेड़ी, माधवपुर, कल्याणीखेडी, खण्डवा, भिचौली.

वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकरण सम्बन्धी सूचना की प्रति अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (4) अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि, मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिये गये हैं.

स्थान :- इंदौर

संजय मिश्रा,
संयुक्त संचालक.

(325)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013-ज्येष्ठ 31, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 6 मार्च, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, शहडोल में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना व खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला अनूपपुर में फसल मसूर व झाबुआ, इन्दौर में गेहूँ, चना व बैतूल में गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी व सीहोर, मण्डला, हरदा, सिवनी में रबी फसल की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़ में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 6 मार्च, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद.	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		आलू समान.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) . .		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	. .		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		गेहूँ, मटर, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. मसूर की कटाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	चालू है.	4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		अधिक. राहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		अलसी, राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर समान.	6. . .	8. . .
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर, मसूर, मटर, अलसी, सरसों, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ , चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सोण्डवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	. .	
3. अलीराजपुर	. .				
4. भामरा	. .				
5. कट्टीबाड़ा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगोन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) कपास, गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. वरला	. .				
9. अंजड	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) . .		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) . .		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की रोपाई व गन्ना,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	रबी फसल गेहूँ, चना,	4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .	मसूर, अलसी की कटाई	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	. .	का कार्य चालू है.			
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूंगमोठ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		चना, मटर, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		जौ, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		कम.		
4. बरघाट	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला अशोकनगर, सतना, रतलाम, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(311)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.